संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: श्रीमति उर्मिला सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, रष्ट्रीय मार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की, उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किए जाने के संबंध में विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के कार्मिक श्रीमति उर्मिला सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के उत्तर प्रदेश पुनरावंतन हेतु दिये गए प्रत्यावेदन पर दिनांक 09-02-2012 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्रीमति उर्मिला सिंह उत्तर प्रदेश के मूल निवासी तथा विकल्पधारी है । वह अनुसूचित जाति के कार्मिक भी है । अतः समिति द्वारा श्रीमति उर्मिला सिंह के उत्तर प्रदेश राज्य कि विकल्पधारी तथा मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति कि महिला कार्मिक होने संबंधित प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटित किए जाने कि संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमति उर्मिला सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का राज्य पुनरावंटन उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

Receipt & Issued Section
22 JUN 2012